न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

पीठसीन अधिकारी –बी एल कोठारी, आई.ए.एस

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 67/2014

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. अमराराम पुत्र श्री चमना राम जाति देवासी निवासी डबाल तहसील सांचोर जिला जालोर।		1. करनाराम पुत्र श्री लालाराम जाति माली निवासी–पादरडी तहसील चितलावाना जिला जालोर 2. ग्राम पंचायत दुठवा तहसील चितलावाना जरिये सरपंच 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 27.09.2013 जो जिला कलेक्टर जालोर द्वारा राजस्व अपील संख्या 87/2012 में पारित किया गया।

उपस्थितिः––

1. श्री भरत देवासी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमप्रकाश, अधिवक्ता रेस्पो0 सं 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री एस0एल0 कुमावत, अधिवक्ता रेस्पो0 सं 2 की ओर से उपस्थित।
4. श्री ओमप्रकाश चौधरी राज0 अधिवक्ता रेस्पो0 सं 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 05 अगस्त, 2019

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत द्वितीय राजस्व अपील जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 87/2012 अनवान ग्राम पंचायत दुढवा बनाम अमराराम वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 27.9.2013 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया तथा उपस्थित अभिभाषकगण के द्वारा की गई बहस को सुना।

3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया गया कि मौजा पादरडी के खेत खसरा नं0 20, 22,165, 166, 173 की रकबा भूमि क्रमशः 0.36, 0.45, 0.09, 0.75, 0.23 हेक्टर कुल खसरान 05 की 1.88 हैक्टर भूमि मूल खातेदार से अपीलार्थी ने पंजीबद्व विक्रय विलेख के खरीद की गई जिसके आधार पर पटवारी हल्का पर नामान्तरकरण संख्या 76 भर कर ग्राम पंचायत में पेश किया।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि उक्त अपीलीधीन नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के समक्ष पेश होने पर सरपंच ग्राम पंचायत दुढवा के द्वारा मनमाने ढंग से दिनांक 20.6.2011 को उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत नहीं कर इस आधार पर खारिज कर दिया कि खरीददार का मौके पर कब्जा नहीं है।

5. ग्राम पंचायत दुढवा के उक्त नामा0 आदेश दिनांक 20.6.2011 के विरूद्ध मुझ क्रेता अपीलार्थी ने अपील उपखण्ड अधिकारी सांचोर के समक्ष प्रथम अपील धारा 75 के तहत पेश की जिसे उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.06.2012 को अपील स्वीकार करते हुए नामान्तरकरण आदेश पर ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए नियमानुसार नामान्तरकरण कार्यवाही करने के आदेश तहसीलदार सांचौर को दिये गये।

6. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि तहसीलदार सांचोर द्वारा बाद जांच विवादित भूमि का रजिस्टर्ड बेचाननामा के मुताबिक क्रेता अपीलार्थी के नाम नामन्तरकरण स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 26.11.2012 को पारित किया गया।

7. तहसीलदार सांचोर के द्वारा दिनांक 26.11.2012 को पारित निर्णय के विरूद्ध ग्राम पंचायत दुढवा के सरपंच ने प्रथम राजस्व अपील संख्या 87/2012 जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में पेश की जिसे श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा प्रथम अपील को दिनाक 27.9.2013 को आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार सांचोर को पुनः सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए नियमानुसार

आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये। श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर मुझ अपीलान्ट के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

8. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन भी किया कि पटवारी द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण भरकर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया था उसे तत्कालीन सरपंच के द्वारा स्वीकार नहीं कर द्वेष भावना एवं मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया जबकि उन्हे ऐसा करने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।

9. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि मूल खातेदार करनाराम के खातेदारी अधिकारो में किसी तरह की कोई त्रुटि नही थी क्योंकि उसे उक्त खसरान की वादग्रस्त भूमि का विधिवत आवंटन किया गया तथा आवंटन के आधार पर ही उसके नाम से नामांतरकरण स्वीकृत हुआ था। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम पचांयत के सरपंच जो प्रभावी पक्षकार भी नहीं थे, उनके पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में ऐसे तथ्य अंकित किये गये जिनका कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

10. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि तहसीलदार चितलवाना न्यायालय के उपरोक्त आदेश उपखण्ड अधिकारी सांचोर के द्वारा अपील संख्या 9/2011 में दिनांक 11.6.2012 को नामा0 संख्या 76 ग्राम दूठवा को निरस्त करते हुए प्रतिप्रेषित किये जाने पर तहसीलदार चितलवाना के द्वारा **भू अभिलेख अधिकारी** के रूप में उक्त रिमाण्ड प्रकरण में कार्यवाही सम्पादित करते हुए पारित किया गया है और ऐसे रिमाण्ड आदेश के विरूद्ध राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील जिला कलेक्टर न्यायालय को नहीं होकर सीधे ही भू अभिलेख निदेशक (सम्भागीय आयुक्त) के समक्ष ही प्रस्तुत की जा सकती है।

11. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलार्थी विवादग्रस्त कृषि भूमि का सदभाविक क्रेता है एवं इस पर उनका मौके पर कब्जा काश्त है। पंजीकृत विक्रय विलेख की अहमियत को बिना समझे जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की

जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.9.13 को निरस्त कर नामा0 संख्या 76 स्वीकार किये जाने के आदेश फरमावे।

12. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अभिभाषक के द्वारा अपीलान्ट के अभिभाषक के कथनों का समर्थन किया।

13. रेस्पो0 संख्या 03 के उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि मौजा पादरडी के वर्तमान खसरा नम्बर 20, 22, 165, 166, 173 कुल रकबा 1.88 हेक्टर की भूमि पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या एक करनाराम को भूमिहीन मानकर आवंटित की थी लेकिन उसके पास पहले से ही काश्त की भूमि होने से गलत किये गये एलोटमेन्ट को धारा 14 (4) एलोटमेन्ट रूल्स के तहत एलोटमेन्ट खारिज करने की कार्यवाही ग्राम पंचायत दुठवा ने जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष की थी। इसके अलावा उपरोक्त वादग्रस्त खसरा नम्बरान की भूमि में दुढवा गांव की आबादी पिछले काफी वर्षों से बसी हुई है तथा रेस्पोडेन्ट करनाराम का कभी भी कब्जा काश्त मौके पर नही हो रखा था। फिर भी करनाराम ने अपने बिना कब्जे वाली का राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज होने मात्र से इस भूमि का कागजी बेचान अपीलान्ट को कर दिया गया।

14. रेस्पो0 संख्या 03 के उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त कागजी बेचाननामे के आधार पर अपीलान्ट अमराराम ने इस भूमि का म्यूटेशन अपने नाम से भरवाने की कार्यवाही की जिस पर पटवारी के द्वारा रिपोर्ट अंकित कर भू0अ0निरीक्षक के समक्ष पेश किया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त खसरान के सम्बन्ध में मौके पर आबादी बसी होने का नोट नामा0 में अंकित किया जिसके आधार पर ग्राम पंचायत दुठवा ने म्यूटेशन न. 76 खारिज कर दिया था।

15. रेस्पो0 संख्या 03 के उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि जब प्रथम दृष्टया करनाराम को एलोटमेन्ट ही कागजी तौर पर गलत किया गया था, तथा उक्त एलोटमेन्ट को खारिज करने की कार्यवाही जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में विचाराधीन चल रही थी एवं मौके पर खरीदार या बेचानकर्ता का कब्जा नही होने तथा गांव की आबादी के मकान मौके पर मौजूद होने व आबादी बसी हुई होने के बावजूद रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अपीलान्ट को उक्त भूमि का कागजी बेचान कर

दिया गया जो विधि विरूद्ध था। इस प्रकार इन सभी आधारों पर मुझ रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष अपील करने पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनाक 27.9.2013 को अपीलाधीन आदेश पारित तहसीलदार सांचोर को प्रकरण में सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात विधि सम्मत आदेश पारित करने का जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखा जावे तथा अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

16. हमने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकों द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विद्वान जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए यह अपीलाधीन आदेश पारित किया कि '' अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरसत किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार चितलवाना को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात नियमानुसार विधि सम्मत आदेश पारित करें।''

17. हमने अपीलाधीन अधीनस्थ प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय दिनांक का एवं उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। जिससे प्रथमतः यह पाया जाता है कि विद्वान जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष प्रथम अपील जो कि तहसीलदार चितलवाना के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2012 के विरूद्ध ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्तुत की गई थी, को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2012 को निरस्त किया गया है। तहसीलदार चितलवाना न्यायालय के उपरोक्त आदेश उपखण्ड अधिकारी सांचोर के द्वारा अपील संख्या 9/2011 में दिनांक 11.6.2012 को नामा0 संख्या 76 ग्राम दूठवा को निरस्त करते हुए प्रतिप्रेषित किये जाने पर **भू अभिलेख अधिकारी** के रूप में उक्त रिमाण्डप्रकरण में कार्यवाही सम्पादित करते हुए पारित किया गया है और ऐसे रिमाण्ड आदेश के विरूद्ध राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील भू अभिलेख निदेशक (सम्भागीय आयुक्त) के समक्ष ही प्रस्तुत की जा सकती है।

18. इसी प्रकार तहसीलदार चितलवाना के द्वारा भी राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के रिमाण्ड कार्यवाही सम्पादित कर दिनांक 26.11.2012 को निर्णय दिया गया है, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील की सुनवाई हेतु सीधे ही भू अभिलेख निदेशक (सम्भागीय आयुक्त) को अधिकृत किया गया है, जिसे जिला कलेक्टर न्यायालय की सुनवाई क्षेत्राधिकारीता न होते हुए भी सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं होगा।

आदेश

19. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर जालोर) द्वारा राजस्व अपील 87/2012 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.9.2013 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर